IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राष्ट्र निर्माण में डॉ बी आर अंबेडकर व सरदार पटेल की भूमिका: मीडिया विमर्श

डॉ ओमप्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र विभाग
रिवाल्सर महाविद्यालय मंडी
विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश

शोध सारांश

डॉ बी आर अंबेडकर व सरदार वल्लभभाई पटेल ने आधुनिक भारतको सुशक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉ बी आर अंबेडकर ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा संविधान रचकर भारत के लोगों को समानता, स्वतंत्रता व भाईचारे का संदेश दिया है। सरदार पटेल ने 565 से अधिक देसी रियासतों को भारत में मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किया। सरदार पटेल आधुनिक भारत के शिल्पकार थे और हमारी प्रशासनिक प्रणाली के निर्माता भी थे ।डॉ बी आर अंबेडकर व इस सरदार पटेल अखंड भारत को भारतीय संविधान से सुदृढ़, स्वातत और शक्तिशाली बनाया। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व- संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित करते हैं। इस शोद पत्र में राष्ट्र निर्माण में डॉ बी आर अंबेडकर व सरदार पटेल की भूमिका: मीडिया विमर्श अध्ययन करना हैं।

मुख्य शब्द: लोकतंत्र, भूमिका, संविधान, आधुनिक भारत के शिल्पकार

डॉ बी आर अंबेडकर व सरदार पटेल दोनों ही भारत रत्न, गरीब परिवार व सैनिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते थे। डॉ बी आर अंबेडकर के पिता ब्रिटिश फौज में सुबेदार रह चुके थे। वही सरदार पटेल के पूर्वज झांसी रियासत में सेना में सेवाएं दे चुके थे। दोनों ही महान विभूतियां बैरिस्टर की पढ़ाई विदेश से कर चुकी थी। डॉ बी आर अंबेडकर दक्षिण एशिया के पहले अर्थशास्त्र में पीएचडी व 4 अन्य विषयों में पीएचडी के साथ लगभग 32 अकादमीक डिग्रियों से सुशोभित थे। डॉ बी आर अंबेडकर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय कोलंबिया, जर्मनी व लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद अपने देश के दुखों को दूर करने के लिए अपना सर्वस्व जीवन निछावर कर दिया। डॉ आंबेडकर चाहते तो विदेश में रहकर एक शान शौकत की जिंदगी जी सकते थे।आम्बेडकर विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे।उन्होंने तर्क दिया कि औद्योगिकीकरण और कृषि विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने भारत में प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर बल दिया।आम्बेडकर को एक अर्थशास्त्री के तौर पर प्रशिक्षित किया गया था, और 1921 तक एक पेशेवर अर्थशास्त्री बन चूके थे। जब वह एक राजनीतिक नेता बन गए तो उन्होंने अर्थशास्त्र परतीन विद्वत्वापूर्ण पुस्तकें लिखीं:

- अॅडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स ऑफ दी इस्ट इंडिया कंपनी
- द इव्हॅल्युएशन ऑफ प्रॉव्हिन्शियल फायनान्स इन् ब्रिटिश इंडिआ
- द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी : इट्स ओरिजिन अॅन्ड इट्स सोल्युशन

अध्यन करने के उदेश्य: इस शोद पत्र में निम्नलिखित उदेशयों का निर्धारण किया गया है।

1 **सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर - सहयोगी या विरोधी ?**

2 सरदार वल्लभभाई पटेल की राष्ट्र निर्माण में भूमिका , योगदान व विचारों अध्ययन करना ।

3 डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की राष्ट्र निर्माण में भूमिका ,योगदान व विचारों अध्ययन करना ।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), आम्बेडकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमिशन को प्रस्तुत किये थे।डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने अपनी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रुपीस में ब्रिटानिया हुकूमत की दमनकारी व औपनिवेशिक नीतियों की कड़ी आलोचना की थी। सरदार पटेल ने जहां बारदोली आंदोलन व खेड़ा सत्याग्रह से भारतीय किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष किया। वही डॉक्टर बी

आर अंबेडकर ने सामाजिक क्रांति के लिए बहिष्कृत भारत, मूकनायक हितकारिणी सभा, काला जी मंदिर सत्याग्रह व जल सत्याग्रह आंदोलनों से भारत के दबे कुचले समाज के लिए संघर्ष शुरू कर दिए। डॉ बी आर अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनने में भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

बंगाल के जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा देकर डॉ बी आर अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनने मे मदद की। तत्कालीन सरकार व भारत विभाजन के कारण जोगिंदर नाथ मंडल का क्षेत्र पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। जहां से डॉक्टर बी आर अंबेडकर चुनकर संविधान सभा पहुंचे थे। उस वक्त की 50% से अधिक हिंदू जनसंख्या बहुल क्षेत्रों को भारत व 50% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान में मिलाया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल के निर्वाचक मंडल में 60% से अधिक हिंदू बहुल जनसंख्या होने के बावजूद पाकिस्तान में मिला दिया गया। इस निर्णय से डॉ बी आर अंबेडकर की सदस्यता रद्द हो गई। जोगेंद्र नाथ मंडल व डॉ बी आर अंबेडकर भारत को छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे।

जोगेंद्र नाथ मंडल का घर व गांव पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। डॉ बी आर अंबेडकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के समक्ष अपना जोरदार पक्ष रखते हुए कहा कि वह किसी भी कीमत में भारत छोड़कर नहीं जाना चाहते। पुणे से जयकर के इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में जाने का रास्ता साफ हो गया।

भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉ राजेंद्र प्रसाद, सलाहकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल व संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर को बनाया गया।

डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कड़े परिश्रम व अपनी मेधा शक्ति से 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान तैयार किया। डॉ राजेंद्र प्रसाद व कृष्णमाचारी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा-संविधान मसौदा समिति में सात सदस्य होने के बावजूद डॉक्टर बी आर अंबेडकर पर संविधान निर्माण का सबसे बड़ा भार था। मसौदा समिति के 2 सदस्य किसी कारणवश विदेश में रहे। 2 की मृत्यु हो गई। 2 सदस्य बाहर रहे। बी एन राव ने डॉ बी आर अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माण संबंधित विभिन्न दस्तावेज मुहैया कराने में मदद की। डॉ बी आर अंबेडकर ने कहा- सरकार कानून बनाएगी, कानूनसरकार के अधीन नहीं होंगे, बल्कि सरकार कानून के अधीन होगी।

25 व 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को संबोधित करते हुए डॉ बी आर अंबेडकर ने कहा- **" मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए, खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा।**

दूसरी ओर, संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि वे लोग, जी ने संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए, अच्छे हो तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा।

संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे राज्य के अंगो का प्रावधान कर सकता है।

राज्य के उन अंगों का संचालन लोगों पर तथा उनके द्वारा अपनी आकांक्षाओं तथा अपनी राजनीति की पूर्ति के लिए बनाए जाने वाले राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है।

कौन कह सकता है कि भारत के लोगों तथा उनके राजनीतिक दलों का व्यवहार कैसा होगा?

जातियों तथा संप्रदायों के रूप में हमारे पुराने शत्रुओं के अलावा, विभिन्न तथा परस्पर विरोधी विचारधारा रखने वाले राजनीतिक दल बन जाएंगे।

क्या भारतवासी देश को अपने पंथ से ऊपर रखेंगे या पंथ को देश के ऊपर रखेंगे?

मैं नहीं जानता। लेकिन यह बात निश्चित है कि और राजनीतिक दल अपने पंथ को देश के ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता एक बार फिर खतरे में पड़ जाएगी और संभवतया हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम सभी को इस संभाव्य घटना का दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिकार करना चाहिए।

हमें अपनी आजादी की खून की आखिरी कतरे के साथ रक्षा करने का संकल्प करना चाहिए"।

सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर - सहयोगी या विरोधी?

पटेल और अंबेडकर, दोनों को ही भारतीय राजनीति के सबसे मजबूत स्तंभों में गिना जाता है. दोनों के बीच की बहस और मतभेद के उन सवालों पर रोशनी डालते हैं, जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस समय थे.

दोनों की विरासत को लेकर होड़दो महापुरुष, जिनकी विरासत को लेकर आज भी तमाम धड़ों में प्रतियोगिता होती रहती है कि वे उनके ज्यादा करीब हैं. दोनों को ही अपना कहने वाले धड़े इनकी विरासतों को अपने सांचे में ढालकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं.दोनों को ही इन दिनों सम्मानित किया जा रहा है. एक की याद में मेमोरियल बनाया जा रहा है, तो दूसरे की प्रतिमा बनाई जा रही है, जो दुनिया में सबसे ऊंची होगी.

सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर, सरकार के इन हालिया प्रतीकों की इन दिनों खूब जय-जयकार हो रही है. कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल बनाने की घोषणा की थी. उससे पहले 2013 में सरदार पटेल की मूर्ति बनाने की घोषणा की जा चुकी थी।

जाति और आरक्षण को लेकर सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर की सोच बिलकुल अलग

संविधान सभाओं में इस विषय पर उन दोनों के बीच अच्छी खासी बहस होती थी। शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की मदद से अंबेडकर दलित अधिकारों को सुरक्षित करना चाहते थे। उन्होंने कहा था, "जो अब अछूत नहीं हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए कि वे कभी अछूत थे. हम सबको साथ खड़े होना होगा."

बी आर अंबेडकर जाति प्रथा व संप्रदायिकता को राष्ट्र विरोधी मानते थे। जातियां व असमानता पर आधारित व्यवस्था देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा- हम पहले भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय ही है। इसीलिए आज संविधान के मूल अधिकार, 'समानता का अधिकार' और भेदभाव के विरुद्ध अधिकार का हिस्सा बन चुका आरक्षण उन दिनों भारी बहस का मुद्दा बना हुआ था।

24 जनवरी, 1947 को नागरिक, अल्पसंख्यक, जनजाति और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए एक सलाहकार समीति बनाई गई थी. पटेल इस समीति के अध्यक्ष थे जबकि अंबेडकर मूल अधिकारों पर बनी एक उप-समिति के सदस्य थे।

एक तरफ तो यह समिति के सामने साफ था कि जाति-व्यवस्था और इससे पनपे भेदभाव और शोषण को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए. इसके लिए संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था बना दी जाए कि ये सब भेदभाव व छुआछूत सिर्फ इतिहास का हिस्सा बन कर रह जाए।

अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप कमेटी के सभापति थे। पर उनका एक निश्चित लक्ष्य भी था। उन्हें लंबे समय से शोषण का शिकार दलितों के हित भी सुरक्षित करने थे, चाहे उन्हें जिद्दी और आक्रामक रणनीति ही क्यों न अपनानी पड़े. उन्हें यकीन था कि ऐसा सिर्फ दलितों के राजनीतिक और आर्थिक अधिकार सुरक्षित करके ही किया जा सकता है, जो सरकारी शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के जरिए ही हो सकता था। इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सरकार शिक्षा और नौकरियों में कुछ फीसदी सीटें दलित और पिछड़े वर्ग के लिए सुरक्षित रखे। पटेल, केएम मुंशी, ठाकुर दास भार्गव और कुछ अन्य जाति के कांग्रेस नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया।पटेल का कहना था कि दलित हिंदू धर्म का एक हिस्सा हैं और उनके लिए अलग व्यवस्था उन्हें हिंदुओं से हमेशा के लिए अलग कर देगी।

पटेल ने**कहा**:. हमारे बीच जो लोग अब अछूत नहीं हैं, उन्हें भूल जाना होगा कि वे कभी अछूत थे। हम नई शुरुआत कर रहे हैं, तो क्यों न हम अपने समाज के इन टुकड़ों को भूलकर एक हो जाएं। पर अंबेडकर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की अपनी मांग पर अड़े रहे ताकि राजनीति में दलितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकें।गांधी ने उन्हें 1932 के पूना पैक्ट को मान लेने के लिए कहा पर वे फिर भी अपनी मांग से पीछे नहीं हटे।

यहां पर कोई भी रुककर सोच सकता है कि सदियों के शोषण, भेदभाव, छुआछूत को यूं ही भूल जाने की बात कैसे कह सकते थे पटेल. सिर्फ इसलिए कि अंबेडकर जैसे कुछ दलितों ने उस सारे शोषण और अत्याचार को पीछे छोड़कर संविधान सभा में जगह बना ली थी?

यहां इतिहासकार क्रिस्टोफ शेफर के सेमिनल ट्रीटीज को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसमें उन्होंने छुआछूत के खिलाफ अंबेडकर के संघर्ष को विस्तार से लिखा है. ये भी साफ किया है कि अंबेडकर के लिए संविधान सभा में चुना जाना भी आसान नहीं रहा था.

क्रिस्टोफ शेफर को पढ़ने की जरूरत इसलिए भी है, ताकि हम जान सकें कि अंबेडकर को संविधान सभा से दूर रखने के लिए कांग्रेसियों ने जो कोशिशें की थीं, उनमें पटेल भी शामिल थे. आखिर में बंगाल के दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल ने उन्हें संविधान संभा में चुने जाने में मदद की थी. जोगेंद्र बाद में पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने.

आंबेडकर के हाथ में संविधान ही क्यों?लेखक हेसूस याचरेज बता रहे हैं कि आखिर आंबेडकर को हमेशा केवल संविधान के साथ ही क्यों दिखाया जाता है। उनके हाथों में कभी 'जाति का विनाश' या 'बुद्ध और उनका धम्म' क्यों नहीं होती?

चाहे मूर्ति हो या पोस्टर, डाक टिकट अथवा होलोग्राम, डॉ. बी. आर. आंबेडकर को लगभग हमेशा भारत के संविधान को अपने बाजू में दबाये दिखाया जाता है। यह दिलचस्प है कि संविधान की प्रति अपने हाथों में लेकर या बाजू में दबाकर उन्होंने कभी अपना फोटो नहीं खिंचवाया। उन्हें संविधान के साथ दिखाने का उद्देश्य शायद इस महान दस्तावेज के निर्माण में उनकी भूमिका की याद दिलाना है।

आंबेडकर को संविधान का मसविदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, इस बारे में कई गलतफहमियां हैं। आम तौर पर माना जाता है कि समझदार, परिपक्व और उदार गांधी ने इस पद के लिए आंबेडकर का नाम नेहरु को प्रस्तावित किया था। डॉ. आंबेडकर पर जब्बार पटेल की फिल्म, जो मोटे तौर पर तथ्यात्मक है, भी हमें यही बताती है। परन्तु तत्कालीन घटनाक्रम को ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि गांधी ने आंबेडकर के मसविदा समिति का अध्यक्ष बनने की राह में भरसक रोड़े अटकाए थे।

यह आश्चर्यजनक नहीं था क्योंकि 1930 के दशक से ही गांधी और आंबेडकर के रिश्ते तनावपूर्ण थे। दलितों के राजनैतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर दोनों के बीच टकराव शुरू हुआ और इसके बाद 1932 में पूना पैक्ट पर दस्तखत हुए। उस समय, गांधी ने दलितों को 'हरिजन' का नाम दिया था। यह नामकरण दलितों के 'हिन्दू' होने पर जोर देता था। इसके विपरीत, आंबेडकर का तर्क था कि चूंकि हिन्दू ही दलितों के मुख्य दमनकर्ता हैं अतः केवल पृथक मताधिकार के ज़रिए ही दलित अपनी आवाज़ दुनिया को सुना पाएंगे। सन 1940 के दशक में भी आंबेडकर और गांधी के मतभेद सुलझ नहीं सके।

जाति का विनाश : वह भाषण जिसे बाबा साहब को देने नहीं दिया गया

डॉक्टर बी आर अंबेडकर की कृतियों में " एनिहिलेशन ऑफ कास्ट" का विशेष स्थान है। राजकिशोर ने वर्ष 2018 में इस पुस्तक पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा-

जाति व्यवस्था से संघर्ष करने वालों के हाथ में यह एक औजार है। मूल रूप से यह पुस्तक नहीं, एक व्याख्यान है, जिसे जात- पात तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक अधिवेशन 1936 के अध्यक्ष पद से पढ़ने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार किया था। लेकिन कार्यक्रमों के आयोजकों ने जब व्याख्यान का प्रारूप देखा, तब भी इसकी विषय वस्तु और प्रतिपादन से तो बहुत प्रभावित हुए, लेकिन इसके कुछ अंशों पर उन्हें गंभीर आपत्ति थी। खासकर व्याख्यान में की गई इस घोषणा पर कि एक हिंदू के रूप में डॉक्टर अंबेडकर का आखिरी भाषण है, क्योंकि तब तक डॉक्टर अंबेडकर धर्म परिवर्तन करने का निर्णय कर चुके थे।

आयोजकों ने व्याख्यान के कुछ अंशों को हटा देने का अनुरोध किया, लेकिन डॉक्टर साहब को यह स्वीकार नहीं हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अधिवेशन ही स्थगित कर दिया गया।

महात्मा गांधी ने इस पर टिप्पणी लिखते हुए कहा " डॉक्टर अंबेडकर हिंदुत्व के लिए एक चुनौती है" इसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने एक लंबा जवाब लिखा जिसमें सिद्ध किया गया कि गांधीजी के विचार कितने पोंगा पंथी और तर्क- विरुद्ध हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा " मेरी राय में, हिंदू समाज को एक नैतिक पुनरुत्थान की जरूरत है ।

डॉक्टर अंबेडकर ने कहा- जब तक सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदलते तब तक आप प्रकृति के मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जाति की नींव पर कोई भी इमारत खड़ी नहीं कर सकते,

राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते आप नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकते। जाति की नींव पर जो कुछ खड़ा किया जाएगा, उस में दरार पड़ जाएगी वह कभी भी साबूत नहीं रह सकता।

राष्ट्रवाद और आंबेडकर:

'कोई भी राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि वह सामाजिक रूप से एक ना हो'अंबेडकर धर्म और राष्ट्र के बीच के बारीक संतुलन को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे । उन्हें पता था कि धर्म का उफान असल में एक तरीके के जातीय अस्मिता को बल देता है। जिससे राष्ट्रीय अस्मिता खंडित होगी। इसलिए अंबेडकर धर्म को राष्ट्रीय चेतना से संबद्ध करने की वकालत करते हैं।

भले भारत को आजादी 1947 में मिली हो लेकिन भीमराव आंबेडकर भारत के उन सच्चे सपूतो में से एक हैं जिन्होने आजादी से कई वर्ष पूर्व ही एक मजबूत भारत की नींव तैयार करना आरंभ कर दिया था। जब एक ओर समूचा स्वतंत्रता आंदोलन राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की ओर झुका हुआ था तो उसी समय भीमराव आंबेडकर का लक्ष्य भारत को ना सिर्फ राजनीतिक रुप से स्वतंत्र करना था बल्कि एक मजबूत राष्ट्र

के रूप में सदियों तक खड़े रहने के लिए उसे सामाजिक और आर्थिक रुप से भी समर्थ व सक्षम बनाना भी था । इसी लक्ष्य को लेकर भीमराव आंबेडकर ने अपनी पूरी जीवन यात्रा तय की।

भीमराव आंबेडकर भारतीय समाज के उन बौद्धिक नेताओं में से एक हैं जो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही समझ चुके थे कि एक **मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए जातिवाद, सत्तावाद और सांप्रदायिकता से मुक्ति जरूरी है ।** वह सामाजिक आर्थिक विषमता के उस विषाक्त स्वरूप से अच्छे से अवगत थे जिसने भारतीय समाज को कुछ इस तरह से जकड़ रखा था कि अगर भारत राजनितिक रूप से स्वतंत्र भी हो जाता तो भी जातिवाद, सत्तावाद, साम्प्रदायिकता का दीमक उसे एक दूसरे विभाजन की ओर धकेल देता।
असल में आंबेडकर का राष्ट्रवाद,भौगोलिक सीमाओं से अधिक समानता पर आधारित है। वह वर्तमान की उपलब्धियों पर ध्यान देने के बजाय भविष्य की आशंका को दूर करने के लिए परिश्रम करने वाले नेता थे। उन्होंने भारतीय समाज में गहरे तौर पर फैले भारी असंतोष को बड़ी अच्छी तरह से समझ लिया था. यही कारण है कि उन्होंने राष्ट्र को बनाए रखने के लिए उस असंतोष को खत्म करने के लिए आवाज बुलंद की। इसके लिए जहां एक तरफ वो अपने समय के सर्वमान्य लोकप्रिय नेता गांधी से भी टकरा जाते हैं।

सकारात्मक और समावेशी राजनीति

यहां यह समझना भी होगा कि आंबेडकर की राजनीति बांटने और राज करने की राजनीति नहीं थी बल्कि वह सकारात्मक और समावेशी राजनीति करने वाले नेता थे ।आंबेडकर बड़ी अच्छी तरह समझते थे कि किसी भी प्रकार के असंतोष को लंबे समय तक नहीं दबाया जा सकता । यही कारण है कि आंबेडकर जब संविधान सभा में शामिल होते हैं तो उनका सारा ध्यान अब तक चले आ रहे अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बदलने पर रहता है।

आंबेडकर एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए समाजवाद को जरूरी मानते थे । आंबेडकर का समाजवाद सिर्फ आर्थिक समाजवाद नहीं था, सिर्फ आर्थिक समानता की बात नहीं करता बल्कि वह सांस्कृतिक समानता की बात भी करता था. सैकड़ों वर्षों से भारतीय समाज में सांस्कृतिक रूप से जो असमानता और भेदभाव की खाई घर कर गई थी जिसने समाज में असंतुलन पैदा कर दिया था, आंबेडकर उस असंतुलन को खत्म करने की बात करते हैं।
वह एक जगह कहते भी है कि यदि स्वतंत्रता आदर्श है, यदि स्वतंत्रता का अर्थ प्रभुत्व का अंत है जो एक व्यक्ति दूसरे पर रखता है तब नि:संदेह केवल आर्थिक सुधारों पर ही जोर नहीं दिया जा सकता । यदि किसी भी दिए समय या समाज में शक्ति और प्रभुत्व का स्रोत सामाजिक और धार्मिक है तो सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधारों को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।

धर्म ने राष्ट्र को बांटकर रख दिया

आंबेडकर जानते थे कि धर्म को समाज से और जीवन से अलग नहीं किया जा सकता । वहीं दूसरी तरफ आंबेडकर ने यह भी देखा था कि धर्म ने किस तरीके से एक राष्ट्र को बांट कर रख दिया था। ऐसी स्थिति में आंबेडकर संतुलन का एक नया रास्ता खोज कर निकालते हैं । वह धर्म का इस्तेमाल देश और समाज को विभाजित करने के लिए नहीं बल्कि उसे एक मजबूत राष्ट्र के रूप में निर्मित करने के लिए करते हैं। वह कहते भी हैं कि धर्म मानव समाज की एकजुटता को मजबूत बनाने वाली शक्ति होना चाहिए। बहुसंख्यकों की इच्छाओं के अनुसार अल्पसंख्यकों पर शासन करने का बहुसंख्यकों का ईश्वरीय अधिकार नहीं। इस क्रम में वह धार्मिक राष्ट्रवाद के बजाय राष्ट्रवादी धार्मिकता पर बल देते हैं।
आंबेडकर धर्म और राष्ट्र के बीच के बारीक संतुलन को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे ।उन्हें पता था कि धर्म का उफान असल में एक तरीके के जातीय अस्मिता को बल देता है। जिससे राष्ट्रीय अस्मिता खंडित होगी। इसलिए आंबेडकर धर्म को राष्ट्रीय चेतना से संबद्ध करने की वकालत करते हैं। वह मानते हैं कि राष्ट्रवाद, जातीय अस्मिता की भावना को खंडित करेगा और दरअसल राष्ट्रवाद ही वह सामाजिक युक्ति है जो सब को एक मंच पर खड़ा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ।इसलिए आंबेडकर संविधान तैयार करते समय धर्म की एक अपनी निश्चित भूमिका और राष्ट्र के संदर्भ में उसका अपना स्थान स्पष्ट कर देते हैं।

आंबेडकर का राष्ट्रवाद सामाजिक एकता से जुड़ा

।आंबेडकर मानते हैं कि कोई भी राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि वह सामाजिक रूप से एक ना हो । यहां यह बात और अधिक स्पष्ट होती है कि आंबेडकर राष्ट्रवाद और सामाजिक एकता को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। राष्ट्रवाद के लिए सामाजिक एकता जरूरी है और सामाजिक एकता के लिए राष्ट्रवादी विचार भावना एक महत्वपूर्ण जरूरत है ।दोनों एक दूसरे के बिना बहुत हद तक कमजोर है और अप्रासंगिक हैं और अस्वीकार्य है।

असल में आंबेडकर का राष्ट्रवाद उन सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विषमताओं के प्रति सचेत व गंभीर राष्ट्रवाद है जो समय दर समय भारत की आम जनता की राष्ट्रीय चेतना को लील रहा था ।यही कारण है की आंबेडकर ने कहा भी है कि हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए । राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं चल सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र निहित न हो।
आंबेडकर लोगों से यह अपेक्षा रखते थे कि वे व्यक्ति पूजा की भावना से परे गुणों की पूजा करें। वह नायक के निर्माण से अधिक नायकत्व का निर्माण करने वाले गुणों की पूजा करने को श्रेष्ठ मानते थे. यही कारण है कि जहां एक ओर आंबेडकर गांधी के सामने भी अड़ जाते हैं और दूसरी ओर गांधी का सबसे ज्यादा आदर करते हैं। आंबेडकर का राष्ट्रवाद व्यक्ति पूजा पर आधारित राष्ट्रवाद नहीं है। असल में व्यक्ति पूजा पर आधारित राष्ट्रवाद दरअसल राष्ट्रवाद नहीं व्यक्तिवाद होता है और आंबेडकर इस सूक्ष्म तथ्य को बहुत अच्छी तरह समझते थे।

विचारों की भक्ति

आंबेडकर मानते थे व्यक्ति की भक्ति दरअसल बांधने का काम करती है जबकि विचारों की भक्ति, गुणों की भक्ति हमें यह अवसर देती है कि हम जरुरत पड़ने पर अपने लिए नए नायकों की भी तलाश कर सकें। इससे राष्ट्र के पास विकल्प उपलब्ध होगा, समय के साथ राष्ट्र और अधिक मजबूत होगा, अन्यथा लगातार कमजोर होते हुए एक दिन पुरानी इमारत की तरह जर्जर होकर बिखर जाएगा।आंबेडकर राष्ट्र के संदर्भ में एक मजबूत संविधान की भूमिका के महत्व को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वह जानते थे एक मजबूत संविधान राष्ट्र को किसी भी प्रकार के कट्टरता, भ्रम, अराजकता, सांप्रदायिकता से बचा सकता है ।एक मजबूत संविधान ही सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक समानता को ला सकता है।

यही कारण है कि जब आंबेडकर को संविधान लेखन समिति का प्रधान बनाया गया था, तो उन्होंने इस भूमिका को बड़ी गंभीरता से निभाया। उनके सामने भारतीय लोकतंत्र के स्वरूप को तय करने का विकल्प था ।आंबेडकर ने बहुत ही गहराई से विश्व के सभी छोटे-बड़े देशों के संविधान का अध्ययन किया तथा उन्होने इस क्रम में यह समझा की असल में लोकतांत्रिक भावना किसी पुस्तक में नहीं बल्कि जनता के मस्तिष्क में होती है।लोकतंत्र कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है बल्कि लोकतंत्र सामाजिक संबंधों में गति करने वाली भावना है।

ऐसी स्थिति में किसी भी देश का सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक रह पाना तभी संभव होगा जब लोकतांत्रिक भावना उस देश की जनता के मन में और पारस्परिक संबंधों में गति कर रही हो। इसी मूल बात को केंद्र में रखकर आंबेडकर ने भारतीय संविधान लेखन आरंभ किया। दूसरे शब्दों में कहें तो आंबेडकर ने भारतीय संविधान में जितने शब्द लिखे, दरअसल वह सारे एक बीज के रूप देश की जनता के मन में बोए गए लोकतंत्र के बीज थे।

वल्लभभाई पटेल का **रियासतों का एकीकरण:**

भारत के पहले गृहमंत्री और उप-प्रधानमंत्री के रूप में, सरदार पटेल ने भारतीय संघ में लगभग 565 रियासतों के एकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें भारत राज्य में शामिल होने के विरुद्ध थीं।

वल्लभभाई पटेल केविचार

- हम खुद ही अन्यायी बन जाएं, तो हम दूसरों से न्याय नहीं मांग सकते। गलती करने वाले को माफ कर दो। उसके साथ मोहब्बत करो।

अविश्वास भय का कारण है। प्रजा का विश्वास राज्य की निर्भयता की निशानी है। इतना याद रखना चाहिए कि राज्य प्रजा के लिए है। प्रजा राज्य के लिए नहीं है।असहयोग जनता और राज्य के बीच नीति, नियम और मर्यादा में रहकर चलाया जाने वाला महान युद्ध है।

- अहिंसा का बहाना न बनाइए। इसमें अहिंसा का तो नाम-निशान भी नहीं था। अहिंसा को हमने अपनी कायरता को छिपाने का साधन बना लिया था।अहिंसा के सिवाय दूसरे किसी ढंग से जीना नहीं हो सकता। नहीं तो जैसे जंगल में शेर-भेड़िये जानवरों को चीरकर खाते हैं। वैसे ही मनुष्य करने लगेंगे और सृष्टि का अंत हो जाएगा। ऐसे समय संभव है कि हिंदुस्तान दुनिया को दूसरा ही मार्ग दिखा दे। वहीं मार्ग हमें अख्तियार करना है और उसमें आप सबको साथ देना है।अफसर का हुक्म मानना चाहिए। किसी भी हालत में विनय नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कोई हुक्म विरुद्ध मालूम हो, तो अफसर के हाथों में इस्तीफा रख दो, परंतु विनय नहीं छोड़नी चाहिए।

आत्मबल के बिना कोई काम नहीं होता, भले की अपनी ही सरकार हो। मैं आत्मबल को मानने वाला हूं।युग को पहचानकर आत्मरक्षा करना हमारा फर्ज है। यह समय ऐसा है कि चारों तरफ गुंडे घूमते हैं। अगर यह मानने का कारण देंगे कि हम कायर है, तो गुंडे निर्भय होकर घूमेंगे।जो मनुष्य सम्मान प्राप्त करने योग्य होता है। वह हर जगह सम्मान प्राप्त कर लेता है। परंतु अपने जन्म स्थान में सम्मान प्राप्त करना कठिन है।

सरदार पटेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत विभाजन : अनकही दास्तान

आरएसएस ने हाल के दिनों में सरदार पटेल को अपनी विचार परंपरा में शामिल करने की कोशिश की है. लेकिन पुस्तकों में दर्ज सरदार पटेल के तत्कालीन बयानों से समझ में आता है कि संघ को लेकर उनके क्या विचार थे.

भारत का सबसे अशांत, सबसे असहिष्णु काल स्वतंत्रता और विभाजन के समय का था. उस समय हिंदू, मुसलमान, सिख, जैसी पहचान के आधार पर दंगे हो रहे थे और बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही थीं. स्वतंत्र भारत के करीब 70 साल बाद एक बार फिर असहिष्णुता, धार्मिक और जातीय खेमेबंदी चरम पर है. भीड़ उसी तरह से फैसले करने लगी है, जैसा स्वतंत्रता के समय कर रही थी.

स्वतंत्रता के समय आबादी के हस्तांतरण का भी अजीबोगरीब फैसला हुआ था. महज कुछ महीनों में 40 लाख लोग भारत से पाकिस्तान भेजे गए और पाकिस्तान से 50 लाख लोग भारत पहुंचे थे. पैदल चलने वालों की 60-60 मील लंबी कतारें चलती थीं. वे लगातार दो तीन महीने तक सफर करते थे, ताकि सुरक्षित ठिकाने तक पहुंच सकें।

प्रशासकीय कुशलता की मिसाल थे पटेल

इस बीच, सीमा पार के अत्याचार की खबर सुन, पंजाब में सिखों ने जिद पकड़ ली कि हम मुसलमानों को सीमा पार न जाने देंगे । दोनों तरफ हत्याएं हो रही थीं। उस समय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल अमृतसर गए। उन्होंने सिखों से कहा, 'निहत्थे स्त्री-पुरुषों और बच्चों को निर्दयता से मारना बहादुरों को शोभा नहीं देता। यह तो पशुता और जंगलीपन है।' उन्होंने आगे कहा, 'शरणार्थियों से लड़ना कोई लड़ाई नहीं है। मानवता और वीरता शरणागत या प्राण भिक्षा मांगने वाले को मारने की अनुमति नहीं देती। दूसरे यदि ऐसा अत्याचार करें तो उनसे निपटने का मौका आएगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप मुस्लिम शरणार्थियों को सही सलामत जाने दें।'

पटेल के इस भाषण के पहले मांग की जा रही थी कि सेना तैनात कर शरणार्थियों को सुरक्षित पाकिस्तान पहुंचाया जाए। सरकार को इसी बीच कई रजवाड़ों से भी निपटना पड़ रहा था, जो भारत सरकार के खिलाफ विद्रोही रुख अपनाए हुए थे । देश में सैनिकों की ही नहीं, कुशल प्रशासकों की भी कमी थी. पटेल की इस अपील का असर हुआ और जो सरदार शरणार्थियों को घेरे हुए थे, उनमें से तमाम सिख युवा खुद पुलिस की भूमिका में आ गए और उन्होंने शरणार्थियों के काफिले को सुरक्षा देना शुरू कर दिया, जिससे शरणार्थी सुरक्षित निकल सकें ।

हमेशा गांधी के विचारों के साथ रहे पटेल

इस बीच गांधी जी का प्रवचन भी चल रहा था। उन्होंने उसी दौरान हिंदू महासभा और आरएसएस से अपील की और कहा, 'हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों हिंदू संस्थाएं हैं ।उनमें काफी पढ़े लिखे लोग भी हैं। मैं उन्हें अदब से कहूंगा कि किसी को सताकर धर्म नहीं बचाया जा सकता। अगर वे कुछ करते हैं तो इल्जाम सब हिंदूओं और सिखों पर आता है. इसी तरह से पाकिस्तान में जो बुराई होती है, उसकी जिम्मेदारी सभी मुसलमानों पर पड़ती है। जो बेगुनाह हैं, जिन्होंने किसी को सताया नहीं, उन्हें अपने भाइयों के गुनाह पर पश्चाताप करना है.।

हालांकि सरदार पटेल की नरमी का रुख धीरे धीरे सख्त होता चला गया.'

सरदार पटेल ने एक कुशल प्रशासक की तरह देश की हर जाति और हर धर्म के लोगों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया था। उनके मन में किसी के प्रति कटुता नहीं थी, लेकिन धार्मिक घृणा और दंगा फैलाकर देश में स्थिरता फैलाने वाले किसी भी संगठन के प्रति वह बेहद सख्त नजर आते हैं।

निष्कर्ष

पटेल और अंबेडकर, दोनों को ही भारतीय राजनीति के सबसे मजबूत स्तंभों में गिना जाता है किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है और सरदार पटेल देश की एकता के सूत्रधार थे । वे आधुनिक भारत के शिल्पकार थे और हमारी प्रशासनिक

प्रणाली के निर्माता भी थे । सरदार पटेल सरदार पटेल ने भारत भूमि के इस मिट्टी के लिए कहा था कि इस मिट्टी में कुछ अनूठा है, जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है।" ऐसे ही उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण बातें कही थी जैसे "आज हमें ऊंच-नीच, अमीर-गरीब, जाति-पंथ के भेदभावों को समाप्त कर देना चाहिए ।बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर ने संवैधानिक ढाँचे के साथ-साथ बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर ने भारत के लिए एक आर्थिक ढ़ाँचे के आधार का निर्माण भी तैयार किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया की स्थापना के समय हिल्टन यंग कमीशन को दिए गए डॉ0 अम्बेडकर के सुझावों को ही आधार बनाया गया था। इतना ही नहीं डॉ0 भीम राव अम्बेडकर रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया के साथ-साथ फाइनेंस कमीशन ऑफ इन्डिया के निर्माण के भी आर्किटेक्ट रहे हैं। । बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर मानते थे कि अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता भारत के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। यह उनकी एक निश्चित धारणा थी और इसे समाप्त होना चाहिए। इतना ही नहीं सबको बराबरी का दर्जा हासिल होना चाहिए और सबको बराबरी का दर्जा हासिल इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि यदि सबको समान स्तर पर लाना है, यह उन फंडामैंटल वैल्यूज़ और जीवनदर्शन को समाहित करता है जिनके आधार पर हमारे संवैधानिक ढाँचे को खड़ा किया गया है।

संदर्भ सूची

1 सुभाष काश्यप (2007) हमारा संविधान, भारत का संविधान और संवैधानिक विधि, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, पृष्ठ संख्या 31- 32
2 आनंद प्रकाश (द प्रिंट) दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसरलेखक दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के कार्यकारिणी सदस्य और राजधानी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. व्यक्त विचार निजी हैं।
3 Ramesh Chand, 'Dr Ambedkar : Life and Mission' Yojna, May 15 1991, p 28
4 Ambedka, BR, States and Minorities, What are their rights and how to secure them in the free Constitution of India, p 52
5 BS Rao, The farming of Indian Constitution, Vol 4, 1968, p 944
6 Social Background of Indian Nationalism, p 37
7 प्रीति सिंह (2019) सरदार पटेल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारत विभाजन: अनकही दास्तान , दी प्रिंट।
8 भारत की एकता का निर्माण, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, तृतीय संस्करण 2015, पेज 53)
9 दिल्ली डायरी, 10-09-1947 से 30-01-1948 तक के प्रार्थना प्रवचनों का संग्रह, मुद्रक और प्रकाशक- जीवणजी डाह्याभाई देसाई, नवजीवन मुद्रणालय, कालूपुर, अहमदाबाद, प्रकाशन वर्ष मई, 1948. पेज 228
10 भारत की एकता का निर्माण, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, तृतीय संस्करण 2015, पेज 78
11 राजकिशोर (2018) डॉ भीमराव अंबेडकर, जाति का विनाश, फॉरवर्ड प्रेस, नई दिल्ली।
12 डॉ अजय कुमार (2022) डॉ बी आर अंबेडकर, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, सिद्धार्थ बुक्स, दिल्ली।